<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

अपील डिक्री/टी0ए0/2603/2003/अलवर

मंगल पुत्र भूपन जाति गुर्जर निवासी ग्राम अलीपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

अपीलांट....

बनाम

1. अर्जुन पुत्र नत्थू मृतक जरिये वारिसान
   - 1/1 श्रीमती धोली पुत्री नत्थू पत्नि भूपसिंह जाति गुर्जर निवासी निवासी साहडोद तहसील तिजारा जिला अलवर।
   - 1/2 प्रकाश उर्फ बुल्ला पुत्र अर्जुन जाति गुर्जर निवासी ग्रम अलीपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
2. अमीचन्द पुत्र गुरूसहाय
3. छाजु पुत्र गुरूसहाय
4. जयनारायण पुत्र गुरूसहाय
5. जल्ली पुत्री गुरूसहाय
6. भगवानी पुत्री गुरूसहाय
7. भाती पुत्री गुरूसहाय
8. बुला पुत्री अर्जुन

   समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम अलीपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डावर, जिला अलवर।

रेस्पो0 ....

<u>खण्डपीठ</u>
श्री अजीत सिंह राजावत, सदस्य
डा0 शिवप्रसाद सिंह, सदस्य

उपस्थितिः–
श्री राजेश गौतम, अभिभाषक अपीलांट
श्री माधवराज सिंह, अभिभाषक रेस्पो0।

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 13.01.2026

1– यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23–05–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, मुण्डावर के समक्ष एक वाद अंतर्गत

धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का बाबत तकासमा एंव हुकम ईम्तनाई दवामी का इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी खसरा नं0 क्रमशः 469 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, 472 रकबा 3 बिस्वा, 473 रकबा 12 रकबा, 474 रकबा 2 बीघा, 560 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 561 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 562 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा व 563 रकबा 2 बीघा ग्राम बासनी में स्थित है। विवादित आराजी में वादी 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है और 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की मुश्तर्का कब्जा काश्त की खातेदारी है। वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से के अुनसार मौके पर काबिज काश्त होकर चले आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 वादी के कब्जे काश्त में दंखलदाजी करते आ रहे हैं। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को विवादित आराजी का तकासमा (बंटवारा) करने बाबत कई बार कहा गया, परन्तु प्रतिवादीगण तकासमा करने से इंकार करते हैं और वादी को उसकी आराजी से बेदखल कर उसे खुर्द–बुर्द करना चाहते हैं। इसलिए वादी द्वारा विवादित आराजी का तकासमा करवाये जाने बाबत वाद प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर करते हुये प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने दावा एवं जवाब दावा के आधार पर तीन विवाद्यक विरचित करते हुये वादी का वाद अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2001 से खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर वादी/अपीलांट द्वारा न्यायालय भू प्रबन्ध एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2003 से वादी/अपीलांट की अपील को खारिज करते हुये परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2001 को यथावत रखा गया है। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध यह द्वितीय अपील मंडल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषगण की बहस अपील में सुनी गयी।

4– विद्वान अभिभाषकगण अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम व रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका तर्क है कि विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की मुश्तरका खातेदारी भूमि है जिमसें पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं एवं लगान भी सरकार को अदा करते आ रहे हैं। शामलाती आराजी में समस्त खातेदारान का कब्जा काश्त माना जाता है। रेस्पो0 द्वारा उनके कब्जे काश्त में

बार–बार दखंलदाजी की जा रही थी। इसलिए उनके द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष विभाजन का दावा प्रस्तुत किया था एवं कब्जे काश्त बाबत समस्त राजस्व रिकार्ड भी प्रस्तुत किये गये थे। परन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये उसका वाद खारिज कर दिया जिसे अपीलीय न्यायालय ने भी अपनी विधिविरूद्ध निर्णय से यथावत रखते हुये अपील को खारिज कर दिया, जो निरस्तनीय है। उनका तर्क है कि रेसज्यूडिकेटा (पूर्ववाद) के बाबत तनकी भी अपीलांट के पक्ष में है क्योंकि पूर्व का वाद आदेश 9 नियम 5 सी0पी0सी0 के तहत खारिज किया गया है तथा जब तक प्रकरण गुणावगुण पर निर्णीत नहीं हो जाता तब तक वह रेसज्यूडिकेटा की श्रेणी में नहीं आता है। उनका तर्क है कि अपीलांट जमाबंदी संवत 2039 के अनुसार 1/2 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं जमाबंदी संवत 2022 में भी अपीलांट/वादी के पिता भूपन के नाम का अंकन है। परन्तु परीक्षण न्यायालय ने तकासमा का वाद सिद्व नहीं करने व पूर्व की जमाबंदी के अभाव में उसके द्वारा प्रस्तुत तकासमा के वाद को खारिज कर दिया जिसे अपीलीय न्यायालय ने भी अपने निर्णय में यह कहते हुये कि वादी/अपीलांट द्वारा कोई वर्तमान जमाबंदी प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे यह प्रतीत होता हो की वादी विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है, वादी/अपीलांट की अपील को खारिज कर दिया, जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उनका तर्क है कि अपीलांट द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 के साथ विभाजन पत्र दिनांक 21.07.1995 प्रस्तुत किया गया जिसमें पक्षकारान द्वारा आपसी राजीनामा अनुसार विभाजन किया गया है। अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर बिना विवेचन किये ही अपना निर्णय पारित कर दिया, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क दिया कि वादी/अपीलांट विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार नहीं है और ना ही वह विवादित आराजी को शामलात में काश्त करता है। अपीलांट/वादी ने अपने दावे के समर्थन में जमाबंदी संवत 2039 एवं खसरा गिरदावरी संवत 2042 प्रस्तुत की। परन्तु उनके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उनका विवादित आराजी की खातेदारी में अंकन किन तथ्यों के आधार पर आया है। अपीलांट द्वारा मात्र संवत 2039 की जमाबंदी प्रस्तुत की गयी है। इससे पूर्व की कोई जमाबंदी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं गयी गयी। उनका तर्क है कि जमाबंदी संवत 2010 में विवादित आराजी गुरूसहाय, अर्जन के हिस्से दर्ज है। इस

आधार पर रेस्पो0 ही विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार सिद्ध होते है। उनका तर्क है कि विवादित आराजी बाबत पूर्व में भी वाद प्रस्तुत किया गया था, जो दिनांक 02.05.1986 खारिज हो गया था। इसलिए वर्तमान वाद पर रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होने से चलने योग्य नहीं है। वादी/अपीलांट अपने बयानों अथवा गवाहान जरिये यह सिद्ध नहीं कर पाया है कि वह विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है। इसलिए उन्हें विभाजन का दावा ना लाकर खातेदारी घोषणा के संबंध में वाद लाना चाहिए था। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को विधिसम्मत बताते हुये प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

6- उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड का गहनता से अध्ययन किया गया।

7- पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में अपीलांट/वादी द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष उक्त वर्णित विवादित आराजी बाबत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत किया गया था, जिसे परीक्षण न्यायालय ने तीन विवाद्यक विरचित करते हुये अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2001 द्वारा वादी द्वारा तकासमा का वाद सिद्ध नहीं करने व पूर्व की जमाबंदी पेश नहीं करने के कारण उसके द्वारा प्रस्तुत तकासमे के वाद को खारिज कर दिया गया। जिसकी अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय न्यायालय ने भी अपने निर्णय में यह विवेचित करते हुये अपील खारिज कर दी गयी कि वादी/अपीलांट द्वारा कोई वर्तमान जमाबंदी प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे यह जाहिर होता हो कि वादी विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है। उक्त संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट/वादी ने अपने वाद के समर्थन में परीक्षण न्यायालय के समक्ष ई0एक्स-2 खसरा गिरदावरी संवत 2012 प्रस्तुत की गयी, जिसमें खातेदार के कॉलम में अपीलांट/वादी का 1/2 हिस्से का अंकन किया हुआ है तथा ई0एक्स0-1 जमाबंदी संवत 2039 में अपीलांट/वादी के 1/2 हिस्से का खातेदार होने का अंकन किया गया है। दावा पत्रावली में ही प्रस्तुत अभिलेख जमाबंदी संवत 2022 वर्ष 1965-66 में भूमि के आधे हिस्से पर अपीलांट/वादी के पिता भूपेन का नाम खातेदारी में अंकन है। इसी प्रकार दस्तावेज सेट्लमेंट जमाबंदी संवत 2029 में भी आधे हिस्से की भूमि पर वादी खातेदार है। इसके साथ गवाहान के बयानात आदि भी पत्रावली में शामिल हैं। उक्त समस्त दस्तावेजों के आधार यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट/वादी विवादित आराजी का 1/2 हक व हिस्से का खातेदार काश्तकार है इसलिए रेस्पो0 का यह कथन मान्य नहीं कि अपीलांट विवादित आराजी का खातेदार नहीं है तथा

उसे बंटवारा का वाद ना लाकर खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत करना चाहिए था। परीक्षण न्यायालय के निर्णय में अपीलार्थी/वादी का सवंत 2039 से पूर्व की समस्त जमाबंदियों को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होना, संवत 2039 में वादी का खातेदारी अंकन राजस्व कार्मिकों द्वारा त्रुटि से दर्ज करना की समभाव्य होना आदि विवेचन अस्पष्ट एवं अपुष्ठ होना परिलक्षित होता है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का सही व पुष्ठ विवेचन न किया जाना स्पष्ट है। अतः निर्णय दिनांक 18.0.5.2001 यथावत रखने योग्य नहीं है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अभिलेख का उचित एवं ठोस विवेचन किये बिना अपीलार्थी की अपील निरस्त की गई है। मूल दावा वर्ष 1986 में प्रस्तुत किया जाकर समर्थन में जमाबंदी संवत 2039 प्रस्तुत कर दी जाने से उनके निर्णय में लेटेस्ट जमाबंदी प्रस्तुत न किये जाने का आक्षेप उचित नहीं है। इस प्रकार दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय त्रुटिपूर्ण होकर निरस्तनीय हैं तथा हमारे सुविचारित अभिमत में प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषण योग्य है। अपीलार्थी द्वारा पूर्व प्रस्तुत वाद गुणावगुण पर निर्णीत न किया जाकर दिनांक 02.05.1986 को आदेश 9 नियम 5 सी0पी0सी0 के तहत खारिज किये जाने पर प्रकरण में रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं होता है।

8– उपरोक्त समस्त विवेचन उपरांत निर्णय स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों क्रमशः भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2003 तथा परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर, मुंडावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2001 अपास्त किये जाते हैं। प्रकरण परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर, मुंडावर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि निर्णय के पैरा संख्या 7 विवेचन अनुसार दोनों पक्षों को साक्ष्य सुनवाई का असर देकर प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यों का गहन व गुणावगुण पर विवचेन कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे।

9– पत्रावली फैसल शुमार रहे। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे। उभय पक्ष प्रकरण की सुनवाई हेतु परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर, मुंडावर के समक्ष दिनांक 18.02.2026 को उपस्थित रहने बाबत सूचित रहें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा0 शिवप्रसाद सिंह)
सदस्य

(अजीत सिंह राजावत)
सदस्य